सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–840
22–7–2010

जिला शिक्षा अधीक्षक को आयोग में हाजिर होने का आदेश पारित

पटना, 22 जुलाई :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त डॉ0 शकील अहमद ने वाद संख्या– 24195/09–10 के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को अगली तारीख पर आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक मो0 अब्दुर रहमान को प्रपत्र 'क' में मांगी गयी सूचना को नहीं देने के एवज में 25000 रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया था, आज तक न आवेदक को सूचना सुलभ करायी गयी है और न ही दण्ड की राशि की वेतन से कटौती कर निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराया गया है। सूचना आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के पूर्व आवेदक को कंडिका तीन की सूचना सुलभ कराने के साथ–साथ जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आयोग में शीघ्र उपस्थित होने का आदेश पारित किया है।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक – 10.08.2010 को साढ़े दस बजे होगीं।

––––